

पश्चिम रेलवे



क्रमांक/ BRC/W/115/02 (Forest)

उप मुख्य अभियंता (निर्माण) III,
प्रतापनगर, वडोदरा - 04

दिनांक : 27.04.2022

प्रति,

श्रीमान कलेक्टर महोदय
जिला अलीराजपुर (म0प्र0)

विषय— छोटाउदयपुर—धार नई ब्रॉडगेज रेलवे लाईन के निर्माण हेतु वनाधिकार अधिनियम, 2006 के तहत प्रमाण पत्र प्रदान करने बाबत।

महोदय,

निवेदन है कि जिला छोटाउदयपुर एवं धार के अन्तर्गत नई ब्रॉडगेज रेलवे लाईन का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इस रेलवे लाईन का निर्माण हेतु अलीराजपुर जिले में लगभग 6.654 हेक्टेयर वन भूमि प्रभावित हो रही है।

अतः अनुरोध है कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत कलेक्टर का प्रमाण पत्र प्रदान करने का कष्ट करें।

(देवेन्द्र मोहन सिंह)

उप. मुख्य अभियंता (निर्माण) III,
प्रतापनगर, वडोदरा-04

पृ. क्रमांक/ BRC/W/115/02 (Forest)

प्रतिलिपि:—

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबन्ध), म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

उप. मुख्य अभियंता (निर्माण) III,
प्रतापनगर, वडोदरा-04

पश्चिम रेलवे



क्रमांक / BRC/W/115/03 (Forest)

उप मुख्य अभियंता (निर्माण) III,
प्रतापनगर, वडोदरा - 04

दिनांक : 27.04.2022

प्रति,

श्रीमान कलेक्टर महोदय
जिला धार (म0प्र0)

विषय- छोटाउदयपुर-धार नई ब्रॉडगेज रेलवे लाईन के निर्माण हेतु वनाधिकार अधिनियम, 2006 के तहत प्रमाण पत्र प्रदान करने बाबत।

महोदय,

निवेदन है कि जिला छोटाउदयपुर एवं धार के अन्तर्गत नई ब्रॉडगेज रेलवे लाईन का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इस रेलवे लाईन का निर्माण हेतु धार जिले में लगभग 241.675 हेक्टर वन भूमि प्रभावित हो रही है।

अतः अनुरोध है कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत कलेक्टर का प्रमाण पत्र प्रदान करने का कष्ट करें।

(देवेन्द्र मोहन सिंह)

उप. मुख्य अभियंता (निर्माण) III,
प्रतापनगर, वडोदरा-04

पृ. क्रमांक / BRC/W/115/03 (Forest)

प्रतिलिपि:-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबन्ध), म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

उप. मुख्य अभियंता (निर्माण) III,
प्रतापनगर, वडोदरा-04